न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 119 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम रेस्पोडेंटगण
1. हनुमानराम पुत्र थानाराम 2. सादूलाराम पुत्र थानाराम 3. श्रीमती पेमी पत्नी सोनाराम 4. डालूराम पुत्र सोनाराम 5. दूदाराम पुत्र सोनाराम 6. लिखमाराम पुत्र सोनाराम 7. रूपाराम पुत्र सोनाराम 8. सताराम पुत्र सोनाराम 9. खेताराम पुत्र देराजराम 10. मानी पत्नी जोगाराम 11. अर्जुनराम पुत्र टीकमाराम 12. शेराराम पुत्र उम्मेदाराम 13. दूदाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट निवासी पोषाल तहसील शिव जिला बाड़मेर	1. सुरा पुत्र आलू 2. मोहम्मद रहीम पुत्र बादलखां 3. दोषूखां पुत्र बादलखां 4. ईसाखां पुत्र बादलखां 5. हसणखां पुत्र आलूखां 6. गफूरखां पुत्र जुसाखां 7. सावणखां पुत्र जुसाखां 8. साहेबखां पुत्र जुसाखां 9. सरादीनखां पुत्र जुसाखा 10. सुभानखां पुत्र आलूखा 11. ईमामखां पुत्र हबीबखां 12. कुरबानखां पुत्र हबीबखां 13. वरीयामखां पुत्र हबीबखां 14. गुलाम अली पुत्र हबीबखां 15. हुरगत पत्नी हबीबखां जाति मुसलमान निवासी पोषाल तहसील शिव जिला बाड़मेर 16. तगाराम पुत्र मेहराराम 17. दुर्जनराम पुत्र मेहराराम 18. प्रकाश पुत्र मेहराराम 19. बबरीदेवी पत्नी मेहराराम 20. हीराराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी पोषाल तहसील शिव 21. बींजाराम पुत्र धन्नाराम उम्र जाति जाट निवासी माधासर तहसील बायतु जिला बाड़मेर 22. कविनाथ पुत्र गोरखनाथ जाति जोगी निवासी मूढणों की ढाणी तहसील शिव 23. प्रबन्धक, आईसीआईसीआई शाखा कानासर 24. प्रबन्धक, एसबीआई शाखा शिव 25. तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 175 / 2020 बअनवान सूरा वगैरा बनाम तगाराम में पारित आदेश दिनांक 14.10.2021 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराज रेस्पोडेण्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 21.11.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरदातागण संख्या 01 से 15 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 51 मौजा पोषाल तहसील शिव में अवस्थित है। जिनके मध्य अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा संख्या 31 रकबा 65.19 बीघा, खसरा संख्या 30 रकबा 66.19 बीघा प्रार्थीगण के खेत व सड़क के मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थी अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेता है, जिससे प्रार्थीगण को अवागमन अवरूद्ध हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब कर दी गई जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर आई को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया, जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने मौके पर जाये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उतरदाता संख्या 01 से 15 से निजी लाभ प्राप्त करते हुऐ उनके कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर बिना अपीलांट को कोई सूचना दिये अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई जबकि अपीलांट के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने पर अपीलांटगण द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना—पत्र व पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना—पत्र दिनांक 15.04. 2021 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया तथा आवेदन को अनदेखा करते हुए आलोच्य अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। प्रस्तावित रास्ता बहुत ही लम्बा है जबकि इस प्रस्तावित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रास्ते से कम दूरी का रास्ता भी मौके पर खसरा नम्बर 22, 23, 24 व 3 से होतु हुए सड़क मार्ग तक मौजूद है जिसमें खसरा नम्बर 22, 23 उत्तरदाता संख्या 01 से 15 ने स्वयं के खातेदारी के है परन्तु उतरदाता संख्या 01 से 15 स्वयं के खातेदारी के है परन्तु उतरदाता संख्या 01 से 15 ने स्वयं की भूमि में से रास्ता नहीं निकालना चाहते है तथा उससे अधिक दूरी की भूमि से रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो पूर्णतया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के विपरित है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में अपने लक्ष्य की पूर्ति करने व झूठी वाहवाही प्राप्त करने हेतु गलत रूप से आलोच्य निर्णय पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में सिर्फ उन मामलो की सुनवाई होती है जिसमें दोनों पक्षकार हाजिर हो तथा राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण किया जाता है परन्तु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की परिभाषा ही बदल डाली है तथा उक्त प्रकरण में राजीनामा होने के बजाय अधीनस्थ न्यायालय ने अधिक विवाद पैदा कर लोक अदालत का गला घोंटने का प्रयास किया गया है तथा एक सर्वाधिक हित प्रभावित होने वाले पक्षकार को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRT 2022(2) Page 1022

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उभयपक्ष की बहस सुनी गई उसके पश्चात रास्ता प्रस्तावित करने के आदेश पारित किया गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांटस को नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी लगातार प्रशासन गांवों के संग अभियान में व्यस्त होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में नियमित कार्यवाही नहीं हो रही थी तथा दिनांक 18.12.2021 को कैम्प खत्म होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में नियमित कार्यवाही प्रारम्भ होने के बाद अपीलांट अधिवक्ता ने न्यायालय में जाकर उक्त प्रकरण के बारे में पता किया तो जानकारी हुई उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 14.10.2021 को कर दिया है जिस पर अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.12.2021 को उक्त आदेश की नकले प्राप्त की गई तो सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वैकल्पिक निकटतम रास्ते का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। मौका फर्द दिनांक 19.10.2020 में स्पष्ट किया गया है कि "प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त कोई सरकारी रास्ता नहीं है।" रेस्पोडेंटस/प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 175/2020 बअनवान सूरा वगैरा बनाम तगाराम में पारित आदेश दिनांक 14.10.2021 को यथावत रखा जाता है।

(प्रदीप के. पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर